



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 28 जुलाई, 2021
श्रावण 6, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 650/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश (193)-2021
लखनऊ, 28 जुलाई, 2021
अधिसूचना

प०आ०-261

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा अधिसूचना संख्या क०नि०-2-838/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश-(08)-2017, दिनांक 30 जून, 2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम प्रस्तर में, प्रथम परंतुक में, -

(एक) शब्द, अक्षर और अंक "जिनको प्ररूप जीएसटी आर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, किन्तु जो स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तिथि तक, देय कर के संदाय के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं" के स्थान पर शब्द "जो कर का संदाय करने के लिये दायी है किन्तु ऐसा करने में विफल रहता है" रख दिये जायेंगे;

(दो) सारणी में, स्तंभ (4) में, शीर्षक में, शब्द "कर अवधि" के स्थान पर, शब्द "माह/ तिमाही" रख दिये जायेंगे;

(तीन) सारणी में, क्रम संख्या 3, 4, 5 और 6 के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4
"3	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख से प्रथम 15 दिन के लिए 9 प्रतिशत, तत्पश्चात् 18 प्रतिशत	मार्च, 2021, अप्रैल, 2021 और मई, 2021

1	2	3	4
4	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने के लिये दायी हैं	नियत तारीख से प्रथम 15 दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले 45 दिन के लिए 9 प्रतिशत और तत्पश्चात् 18 प्रतिशत	मार्च, 2021
		नियत तारीख से प्रथम 15 दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले 30 दिन के लिए 9 प्रतिशत और तत्पश्चात् 18 प्रतिशत	अप्रैल, 2021
		नियत तारीख से प्रथम 15 दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले 15 दिन के लिए 9 प्रतिशत और तत्पश्चात् 18 प्रतिशत	मई, 2021
5	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने के लिये दायी हैं	नियत तारीख से प्रथम 15 दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले 45 दिन के लिए 9 प्रतिशत और तत्पश्चात् 18 प्रतिशत	मार्च, 2021
		नियत तारीख से प्रथम 15 दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले 30 दिन के लिए 9 प्रतिशत और तत्पश्चात् 18 प्रतिशत	अप्रैल, 2021
		नियत तारीख से प्रथम 15 दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले 15 दिन के लिए 9 प्रतिशत और तत्पश्चात् 18 प्रतिशत	मई, 2021
6	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने के लिये दायी हैं	नियत तारीख से प्रथम 15 दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले 45 दिन के लिए 9 प्रतिशत और तत्पश्चात् 18 प्रतिशत	तिमाही जो मार्च, 2021 को समाप्त हो रही है।

2- यह अधिसूचना तारीख 18 मई, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 650 / XI-2-21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order (193)-2021, dated July 28, 2021 :

No. 650 / XI-2-21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order (193)-2021

Dated Lucknow, July 28, 2021

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) read with section 148 of the said Act, the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in notification no. KA.NI.-2-838/XI-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order (08)-2017, dated June 30, 2017, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso,-

(i) for the words, letters and figure “required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B**, but fail to furnish the said return along with payment of tax”, the words “liable to pay tax but fail to do so” shall be *substituted*;

(ii) in the Table, in column 4, in the heading, for the words “Tax period”, the words “Month/Quarter” shall be *substituted*;

(iii) in the Table, for serial number 3, 4, 5 and 6, the following shall be *substituted*, namely:—

1	2	3	4
“3	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	9 per cent for the first 15 days from the due date and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021 and May, 2021
4	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 30 days, and 18 per cent thereafter	April, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	May, 2021
5	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 30 days, and 18 per cent thereafter	April, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	May, 2021

1	2	3	4
6	Taxpayers who are liable to furnish the	Nil for the first 15 days from the	Quarter

	return as specified under sub-section (2) of section 39	due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	ending March, 2021".
--	---	---	----------------------

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of May, 2021.

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 224 राजपत्र-2021-(450)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट) ।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 21 सा0 राज्य कर-2021-(451)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट) ।

